

फर्द अहकाम


(नियम 26)

अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

जयसुमार आहुजा बनाम सुब्बा आहुजा

म मुकदमा ७१०५३ नं० ७२ सन् २०२५

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
7/08/2024	<p>प्रार्थना - पत्र बाद जन्म प्रस्तुत हुआ। दर्ज रजिस्ट्रर किया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी के निवेदन पर अन्तारिम बहस ७१०५३ एकरतका सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने अन्तारिम बहस प्रार्थना-पत्र में विपक्षी के विरुद्ध अन्तारिम अस्माची निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया तथा यह भी निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा स्वकर्मित डायरी खरीद की गई जमीन के किसी अन्य के विरुद्ध कर दिया तो प्रार्थी के अप्रवीच्य क्षति होगी, अर्थात् ०। के इमलिए अस्माची निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। हमने प्रार्थना-पत्र एवं उसके संलग्न शपथ-पत्र तथा दस्तवेजों का अवलोकन कर अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर गहनता से मन्न किया। अधिवक्ता प्रार्थी के निवेदन के एकरतका अन्तारिम रूप से स्वीकार किया जाकर अन्तारिम निषेधाज्ञा विरुद्ध विपक्षीगण इस आशय की जारी की जाती है कि विपक्षी क्र. ०। आगामी आदिश तक ग्राम झालरबागड़ी फ० ४० बरौलिया की खाता क्र. १६ की आराजी क्र. ३४/२५ रकबा २.६५६६ अक्षि की मौके एवं रिनाई की मघारिघति बनाये रखे, रहने व मन्तानिच न करे। विपक्षीगण का नोटिस प्रोसेस पर धाल स्थाही से अकंक किया जाकर मौके व रिनाई की मघारिघति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जावे। फतावली वास्त नोटिस तामील दिनांक 18/09/2024 को पेश है।</p>	 <p>उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा</p>

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

जय कुमार आहुजा

बनाम

इन्द्रा आहुजा

किस्म मुकदमा

प्रापक

नं०

72/2024

सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुन
18/09/2024	<p>पत्रावली पेश हुई वकील आधी उपस्थित। अजाधी सं. 02 की बाद तामील प्राप्त जो शांको रहे। अजाधी सं. 01 की तामील अजाफ। अजाधी सं. 02 परीकार सरकार न्यायालय में उपस्थित। पत्रावली वास्तु जवाब परीकार सरकार व वदन्तजार अजाधी सं. 01 तामील दिनांक 15/10/2024 को पेश है।</p> <p style="text-align: right;">SD-0</p>	
15/10/2024	<p>पत्रावली पेश हुई अजाधी संघ द्वारा न्यायिक कार्य स्थिति अव पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17/10/24 को पेश की जावे।</p>	
17/10/2024	<p>पत्रावली पेश हुई वकील आधी परीकार सरकार न्यायालय में उपस्थित। अजाधी सं. 01 की तामील अजाफ। पत्रावली वास्तु जवाब परीकार सरकार व वदन्तजार नोडित तामील अजाधी सं. 01 दिनांक 26/11/2024 को पेश है।</p> <p style="text-align: right;">SD-0</p>	
22/10/2024	<p>पत्रावली आज दिनांक के वकील आधी के प्रापक के सुनवाई हेतु निवेदन पर पेश हुई वकील आधी द्वारा प्रकर के मिस्री प्रकार की फेर कार्यवाही की जाहे के निवेदन किया तथा प्रापक धारा-212 के विरो कर के निवेदन किया गया। पत्रावली का इवलोकन कर गलतता के मग्न किया गया। वकील आधी द्वारा प्रापक धारा-212 के मिस्री प्रकार की फेर कार्यवाही की जाहे के निवेदन पर विरो के स्वीकार किया जाता है। पत्रावली के सब सुमार हे फेर रजिस्टर के का की जाकर शामिल दफ्तर है।</p>	<p>की प्रवा कार का प्रापक</p>

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चिसेडाह)